तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13-11-19	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित आदेश प्रार्थना-पत्र 212 आर.टी.एक्ट सुनाया गया प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर यथोचित पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर सलंग्न मूल वाद रहे। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

प्रार्थना पत्र 41/2011 — पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक :– 03.10.2011 — जनक सिंह (RAS)

बउनवान

1. रामनाथी पुत्री बिशना पत्नि नंदकिशोर जाति बलाई निवासी गोठडा तहसील व जिला बून्दी (राज.)
2. धन्नीबाई पुत्री बिशना पत्नि मथुरा जाति बलाई निवासी पचीपला तहसील व जिला बून्दी (राज.)
3. रामप्यारी आयु 50 बर्ष पुत्री बिशना पत्नि गोबरी लाल जाति बलाई निवासी गैण्डोली की झोपडिया तहसील के पाटन जिला बून्दी (राज.)
4. रामभरोसी आयु 45 बर्ष पुत्री बिशना पत्नि रामदेवा जाति बलाई निवासी गामछ तहसील के पाटन जिला बून्दी (राज.)
5. रामप्रसाद आयु 35 बर्ष आ0 चौथमल जाति बलाई निवासी काप्रेन
6. विमला आयु 30 बर्ष पुत्री चौथमल जाति बलाई पत्नि जगमोहन निवासी काप्रेन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी (राज.)

– प्रार्थीगण –

बनाम

1. मोडूलाल पुत्र बरधा जाति बलाई निवासी पचीपला तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
2. रामस्वरूप पुत्र बरधा जाति बलाई निवासी पचीपला तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
3. लक्ष्मीनारायण पुत्र बरधा जाति बलाई निवासी पचीपला तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
4. प्रकाश पुत्र बरधा जाति बलाई निवासी पचीपला तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी(राज.)
5. रामचन्द्र पुत्र बरधा जाति बलाई निवासी पचीपला तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
6. केशरबाई पुत्री बरधा जाति बलाई निवासी पचीपला तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
7. पांचीबाई पुत्री बरधा जाति बलाई निवासी पचीपला तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
8. कैलाशी बाई पुत्री बरधा जाति बलाई निवासी पचीपला तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
9. मनभर पुत्री बरधा जाति बलाई निवासी पचीपला तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)

– अप्रार्थीगण –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित :– श्री दिनेश शर्मा एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से
श्री बालालाल बीडा एडवोकेट अप्रार्थीगण की ओर से

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Scanned by CamScanner

निर्णय

दिनांक :– 13.11.2019

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट में प्रस्तुत कर कथन किया कि खाता संख्या 76 नई पुरानी 177 के खसरा संख्या 71 रकबा 0.45 हैक्टर, खसरा संख्या 79 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा संख्या 84 रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा संख्या 85 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा संख्या 88 रकबा 0.38 हैक्टर, खसरा संख्या 281 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा संख्या 368 रकबा 0.74 हैक्टर, खसरा संख्या 369 रकबा 1.25 हैक्टर, खसरा संख्या 464 रकबा 0.85 हैक्टर, खसरा संख्या 465 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा संख्या 466 रकबा 0.55 हैक्टर, खसरा संख्या 467 रकबा 0.85 हैक्टर, खसरा संख्या 468 रकबा 1.48 हैक्टर, खसरा संख्या 469 रकबा 0.85 हैक्टर, खसरा संख्या 505 रकबा 2.01 हैक्टर कुल किता 15 कुल रकबा 9.94 हैक्टर वाके ग्राम पचीपला पटवार हल्का रेबारपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पुश्तैनी कृषि भूमि है। कृषि भूमि के सहखातेदार चन्दा, नारायण, ग्यारसा, विशना, छोटे, गोमदा पिता पिसरान धन्ना जाति बलाई खाते व कब्जे में हिस्सा 1/6, 1/6 पर संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में अंकित चली आ रही है। उपरोक्त सहखातेदारों की मृत्यु हो चुकी है। उनके वासिसान प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 1 लगायत 27 वर्तमान में मौजूद है। वाद वर्णित कृषि भूमि का विधिवत अभी विभाजन नही हुआ हैं।

प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि का सहखातेदार बिशना की मृत्यु दिनांक 24.01.1987 को हो चुकी है। जिसके वैध वारिसान प्रार्थीगण 1 लगायत 6 है जिनको बिना सूचना व सुनवाई का अवसर दिये राजस्व कर्मचारियों ने बिशना की मृत्यु के बाद बरधा का नाम बिशना के स्थान पर अंकित कर दिया गया। प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 10 बिशना पुत्र धन्ना के स्थान पर बरधा के गलत इन्द्राज का लाभ लेकर वर्णित कृषि भूमि पर बरधा की मृत्यु के बाद अपना नाम अंकित करवाने पर आमादा है। यही वाद उत्पत्ति कारण है। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह वाद वर्णित कृषि भूमि में बिशना पुत्र धन्ना के हिस्से 1/6 पर बिशना की मृत्यु के बाद राजस्व रिकार्ड में अंकित बरधा पुत्र बिशना के इन्द्राज को विलोपित कर बिशना के स्थान पर प्रार्थीगण सहखातेदार के रूप में अपना नाम अंकित करवाकर खातेदार घोषित करवाये एवं प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 10 को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द फरमाये कि प्रार्थीगण के हिस्से में आने वाली कृषि भूमि पर जबरन कब्जा काश्त नही करें। और अन्त मे निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावें की वे प्रार्थीगण के हिस्से तक ताकत के बल पर कब्जा नही करें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण का वाद विषयक आराजी मे किसी प्रकार का कोई हित निहित नही है। न ही कब्जा काश्त है। अन्त में प्रार्थना की गई कि प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

हमारे द्वारा अभय पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिया कि विवादित आराजी पुश्तैनी कृषि भूमि है। जिसमें प्रार्थीगण के पिता बिशना का 1/6 हिस्सा निहित था। और बिशना के कोई पुत्र नही था। प्रार्थीगण बिशना की पुत्रियां है। बिशना की मृत्यु के बाद बरधा का नाम बिशना के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया। प्रार्थीगण की ओर से दत्तक के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नही किये गये। जिला कलक्टर न्यायालय में प्रार्थीगण की अपील मियाद के आधार पर खारिज हुई है। अप्रार्थीगण कब्जे काश्त है। इस कारण यदि अप्रार्थीगण को पाबन्द नही किया गया तो वह वाद विषयक आराजी को खुर्द बुर्द कर देगें। उन्होने अपने तर्को के समर्थन में आर.आर.टी. 2012 पेज नं0 921, आर.आर.टी. 2012 पेज नं0 351 पूर्व न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये। अन्त में प्रार्थना की गई कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस का विरोध करते हुये तर्क दिया कि बिशना की मृत्यु 1973 से पूर्व हो चुकी है। जबकि प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा बिशना की मृत्यु 1987 में होना अंकित किया है। शादीशुदा पुत्रियों को कोई अधिकार नही है कि प्रार्थीगण बिशना की पुत्रियां है इस बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है। प्रार्थीगण द्वारा सभी सहखातेदारों को पक्षकार भी नही बनाया गया है। जिसके अभाव में प्रार्थना पत्र पोषनीय नही है। प्रार्थीगण के कब्जे बाबत कोई दस्तावेज पेश नही किये है। उन्होने अपने तर्को के समर्थन में आर.आर.डी. 2005 पेज नं0 450, आर.एल.डब्लू. 2015 (1) पेज नं0 189, आर.एल.डब्लू 2015 (1) पेंज नं0 5, आर.आर.टी. 2003 (1) पेज नं0 718, डी.एन.जे. 2013 पेज नं0 18, आर.एल.डब्लू. 2009 (2) पेज नं0 872 पूर्व न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये।

हमारे द्वारा अभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुये पूर्व न्यायिक दृष्टांतो का पठन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा बिशना की पुत्रियां होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज साक्ष्य व बिशना के गांव के निवासियों का कोई शपथ पत्र पेश नही किया गया। आया प्रार्थीगण बिशना की पुत्रियां है यह प्रश्न मूल दावे में अभयपक्षों के साक्ष्य से तय किया जा सकता है। जब तक इस प्रश्न का निर्णय नही हो जाता तब तक प्रार्थीगण के पक्ष में कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है।

प्रार्थीगण द्वारा 212 आर.टी.एक्ट. के प्रार्थना पत्र में उनका कब्जा होना साबित किया जाना अतिआवश्यक है। लेकिन कब्जे बाबत खसरा गिरदावरी व लगान की रसीदें पेश नही की गई। जिनके अभाव में प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नही होना पूर्णतया साबित नही होता है। प्रार्थीगण द्वारा इस प्रार्थना पत्र में केवल मूल वाद में वर्णित प्रतिवादीगण 1 लगायत 10 को ही अप्रार्थीगण पक्षकार बनाया गया है। लेकिन शेष सहखातेदारों को बतौर अप्रार्थीगण पक्षकार नही बनाया गया है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पूर्व न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 2005 पेज नं0 450 में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा यह सिंद्धान्त प्रतिपादित किया गया कि सहखातेदारान को पक्षकार बनाये बिना धारा 212 आर.टी.एक्ट प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। इस नजीर प्रतिपादित सिंद्धान्त इस प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का केस प्रथम दृष्टया केस नही होना पाया जाता है और न ही क्षति का एवं सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहें।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner